संख्या-11/2017/1265/46-1-2017-1512/2002

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त।
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 25 अक्टूबर, 2017**

विषय:- पेराई सत्र 2017-18 की खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-133/ला./2017-18, दिनांक 20-9-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेराई सत्र 2017-18 हेतु खाण्डसारी लाइसेंसिग नीति का निर्धारण किया गया है। अतएव प्राविधानित खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पत्र संख्या-11/2017/1265/46-1-2017-1512/2002, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक

पेराई सत्र 2017-18 की खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति-प्राविधान

1- पावर क्रेशरों के नये लाइसेंस:-

(क) संस्थापित चीनी मिल से 15 कि.मी. अर्द्धव्यास के बाहर नया लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।

(ख) असुरक्षित क्षेत्र में नया लाइसेंस दिये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा, किन्तु सुरक्षित क्षेत्र के किसी पाकेट ग्राम में नया लाइसेंस प्रस्तर-1(क) से प्रतिबन्धित होगा।

(ग) गन्ना कृषकों के द्वारा क्षेत्र में स्थापित खड़े कोल्हुओं की गणना की जाय तथा इनका पूर्ण विवरण रखा जाये जिससे यह पता चल सके कि क्षेत्र में कितने कोल्हू कृषकों द्वारा चलाये जा रहे हैं तथा इनके द्वारा उ.प्र. गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है।

(घ) नई संस्थापित की जा रही चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में नया लाइसेंस प्रस्तर-1 (क) से प्रतिबन्धित रखकर दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पुराने आशय पत्र अथवा आई.ई.एम. किसी भी आधार पर व्यवहारिक रूप से लगने वाली प्रस्तावित चीनी मिल का दर्जा प्रयोगात्मक रूप से एक ही समझा जाना चाहिए।

2- सुप्त इकाई का लाइसेंस जारी किया जाना:-

ऐसी बन्द हो चुकी खाण्डसारी इकाईयों, जिन्हें किसी भी सत्र में लाइसेंस प्राप्त रहा हो, इकाई ने पूर्व में कार्य किया हो तथा क्रयकर आदि का भुगतान किया हो, वर्तमान में उन पर कोई बकाया न हो, इकाई अपने स्थल पर पूर्ण रूप से संस्थापित हो, ऐसी इकाइयों की सुप्त अवधि को क्षम्य मानते हुए पूर्ण अवधि का लाइसेंस शुल्क-विलम्ब शुल्क सहित जमा करने पर उनको लाइसेंस इस शर्त पर जारी कर दिया जाय कि वे वर्तमान सत्र में अपनी इकाई अवश्य चलायेंगे अन्यथा उनका लाइसेंस निलम्बित/निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इकाई स्वामियों से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रू 5.00 के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर इस संबंध में अण्डरटेकिंग प्राप्त कर ली जाय।

3- <u>लाइसेंस में परिवर्तन:-</u>

(क) विवादास्पद मामलों को छोड़कर साझेदारी संविदा के आधार पर साझेदारों के घटने बढ़ने अथवा उत्तराधिकार के मामलों में लाइसेंस में नाम परिवर्तन किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध न होगा, किन्तु फर्म के नाम परिवर्तन हेतु व्यापार कर विभाग एवं मण्डी परिषद का नोड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) चीनी मिल के असुरक्षित क्षेत्र में स्थित पुरानी इकाइयों के आकार एवं प्रकार परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

(ग) इकाई के पूर्व स्वीकृति आकार में कोई प्रतिबन्ध न रखा जाय।

(घ) चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में 15 कि.मी. अर्द्धव्यास के 'बाहर' स्थित (उ.प्र. गन्ना क्रयकर नियमावली, 1961 के नियम 13(ए) की अनुसूची-1 की श्रेणी (बी) तथा श्रेणी (सी) में दिये गये आकार वाली) पुरानी एवं छोटी इकाईयों को निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करने पर आकार में वृद्धि क्रमश: 30.50से.मी.×33से.मी. एवं 33से.मी.×35.50से.मी. के किये जाने की अनुमति इकाई स्वामियों के आवेदन पत्र पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। (यदि इकाई स्वामी उक्त अनुसूची की श्रेणी (डी) के लिये निर्धारित पेराई क्षमता पर क्रयकर एवं इसी आकार के लिये नियमों के अन्तर्गत निर्धारित दर पर लाइसेंस का भुगतान करें।)

(ङ) सल्फर से नान सल्फर एवं नान सल्फर से सल्फर में परिवर्तन किये जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(च) नान हाईड्रोलिक से हाईड्रोलिक/स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया अथवा हाईड्रोलिक/स्प्रिंगयुक्त प्रक्रिया से नान हाईड्रोलिक में परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जा सकती है, किन्तु परिवर्तित आकार के अनुरूप ही लाइसेंस शुल्क देय होगा।

(छ) चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में यदि एक व्यक्ति के नाम दो इकाइयों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लाइसेंस हैं अथवा एक ही लाइसेंस के अधीन एक से अधिक पावर क्रेशर अनुमन्य है और उनके बदले में वह बड़े आकार का लाइसेंस चाहता है तो ऐसा करने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाय कि प्रस्तावित आकार के क्रेशर की पेराई क्षमता वर्तमान क्रेशरों की पेराई क्षमता से अधिक नहीं होगी। यह भी प्रतिबन्ध होगा कि बड़े आकार के क्रेशर का लाइसेंस चीनी मिल से दूरस्थ स्थित इकाई पर ही अनुमन्य किया जायेगा।

4- स्थल परिवर्तन:-

(क) संस्थापित इकाई को उसी ग्राम में किसी भी प्लाट पर स्थानान्तरित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(ख) यदि कोई इकाई अपने स्थल से दूसरे ग्राम में, जो चीनी मिल से पूर्वस्थल की अपेक्षा अधिक दूरी पर हो तथा चीनी मिल से 15 कि.मी. अर्द्धव्यास से बाहर हो, स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

5- परिवर्तन संबंधी प्रार्थना पत्र की अन्तिम तिथि:-

किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु विविध प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी होगी, इसके बाद इस तरह का कोई भी प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होगा। ऐसे विविध प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, तक अवश्य कर लिया जाय किन्तु यह प्रतिबन्ध उत्तराधिकार के मामले व इकाई क्रय के मामले में लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में यदि इकाई विकल्प के अन्तर्गत कार्य कर रही है, तो उत्तराधिकारी द्वारा विकल्प के जारी रखने की अण्डरटेकिंग नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

6- क्रय विक्रय संबंधी मामले:-

संचालित खाण्डसारी इकाई के क्रेता के पक्ष में वर्तमान क्षमता एवं इकाई स्थल यथावत रखते हुए तथा लाइसेंस शुल्क जमा कर नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर नवीन लाइसेंस जारी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में नवीन लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नहीं अपनाई जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- विकल्पित इकाइयों के घोषणा पत्र प्रभावी होने के पश्चात अनुसूची-1 में उल्लिखित मशीनरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। किन्तु प्रस्तर-3 (घ) के अन्तर्गत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुमति आकार वृद्धि/परिवर्तन की दशा में आकार वृद्धि/परिवर्तन की तिथि से ही नया विकल्प स्वीकार होगा।

8- <u>खाण्डसारी इकाइयों को स्टीम ब्वायलिंग प्रोसेस की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना:-</u>

स्टीम ब्वायलिंग प्रोसेस की स्थापना हेतु अनुमति इकाई स्वामी द्वारा इसके लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करके निर्णय लिया जायेगा।

9- खाण्डसारी इकाइयों के लाइसेंस जारी करने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय परिस्थितियों के दृष्टिगत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।